रिक्ति परिपत्र

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सं. ए/91359/एस–6/मुप्रअ/भर्ती–1

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी कार्यालय

ई–ब्लॉक, दारा शुकोह रोड
नई दिल्ली– 110011
दिनांकः 27 –3–2019

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य श्रेत्रों के प्रमुख सचिव

विषयः– **रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (वायुसेना), रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रौन्नति की संयुक्त पद्धति द्वारा 'ज्येष्ठ कार्यक्रमक' ग्रेड में एक रिक्ति (दिनांक 01–11–2019 से अपेक्षित) को भरा जाना**

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (वायुसेना), रक्षा मंत्रालय में निम्नलिखित शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति की संयुक्त पद्धति द्वारा वेतन मेट्रिक में स्तर–***11*** में **'ज्येष्ठ कार्यक्रमक'** (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय) ग्रेड में एक रिक्ति (दिनांक 01–11–2019 से अपेक्षित) को भरा जाना है :–

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रौन्नति की संयुक्त पद्धति द्वारा :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या लोक क्षेत्रों के उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या संविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :–

(क)(I)जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(II) जिनकी वेतन मेट्रिक में स्तर–10 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वहां पांच वर्ष नियमित सेवा है ; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :–

(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कम्पयूटर उपयोजन या कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या प्रौद्योगिकी में (कम्प्यूटर उपयोजन में विशषज्ञता) मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में बैचलर या कम्प्यूटर इंजीनियरी का कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रोद्योगिकी में बैचलर।

(II) इलैक्ट्रानिक आंकडा प्रसंस्करण कार्य में दो वर्ष के सही प्रोग्रामिंग के अनुभव सहित पांच वर्ष का अनुभव।

या

(ख) (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन या कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या इलैक्ट्रानिक या इलैक्ट्रानिक और संचार इंजीनियरी में डिग्री।

(II) इलैक्ट्रानिक आंकडा प्रसंस्करण कार्य में तीन वर्ष के सही प्रोग्रामिंग के अनुभव सहित सात वर्ष का अनुभव।

या

(ग) (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से इंजीनियरी में डिग्री।

(II) इलैक्ट्रानिक आंकडा प्रसंस्करण कार्य में चार वर्ष के सही प्रोग्रामिंग के अनुभव सहित आठ वर्ष का अनुभव।

या

(घ)(I) इलैक्ट्रानिक और प्रत्यायन विभाग के अधीन कम्प्यूटर कक्षा प्रोग्राम का 'ए' स्तर का डिप्लोमा या अखिल भारतीय या राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा कम्प्यूटर उपयोजन के प्रदत्त विश्वविद्यालय प्रोग्राम के अधीन प्रस्थापित कम्प्यूटर उपयोजन में पोस्ट ग्रेजूएट डिप्लोमा या कम्प्यूटर उपयोजन में पोस्ट पोलीटेकनीक डिप्लोमा।

(II) इलैक्ट्रानिक आंकडा प्रसंस्करण कार्य में चार वर्ष के सही प्रोग्रामिंग के अनुभव सहित आठ वर्ष का अनुभव।

2. **<u>कार्य रूपरेखाः</u>** प्रणाली के प्रभावी और सुगम संचालन को सुनिश्चित करना। कम्प्यूटर फाइलों का अद्यतित अनुरक्षण। यूनिटों से हस्तांतरण तिथियों की समयबद्ध प्राप्ति और कम्प्यूटर फाईलों का समयबद्ध अद्यतन। मास्टर डाटा तैयार करना और उसका अनुरक्षण करना। प्रणाली में नई रेंजों को शामिल करना। विभिन्न स्तरों के लिए विशेष रिपोर्ट तैयार करना जिनमें आवश्यकता आधारित सूचनाएं शामिल हों।

3. ऐसे विभागीय कार्यक्रमक जिनका वेतन मेट्रिक में स्तर–10 है और पांच वर्ष की नियमित सेवा है, भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचारित होंगें और उसके या उनके पद पर नियुक्ति में चयन की दशा में पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

4. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधरणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कार्गिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. रां. 6/8/2009-Estt(Pay II) दिनांक 17–6–2010 एवं इसके अनुवर्ती संशोधनों, यदि कोई हो, के अनुसार होगी।

5. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।